



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
CIN : U40101UP1980SGC005065



संख्या: 294/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2019-3(1)/मा०सं०(04)/2017

दिनांक 16 फरवरी, 2019

मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक,  
ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज  
एवं मुख्य अभियन्ता पनकी ताप विद्युत गृह,  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/  
कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

**विषय :- सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए०सी०पी०) की व्यवस्था लागू किये जाने विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-वे०आ०-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को अंगीकृत करते हुए कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं०-55-काविनी एवं वे०प्र०-29/17-13-काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 12.01.2017 की अनुरूपता में निगम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1300/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-3(1)-मा०सं०(04)/2017(टी०सी०) दिनांक 31.08.2017 एवं संपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1427/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-3(1)-मा०सं०(04)/2017 (टी०सी०)दिनांक 26.09.2017 द्वारा तत्सम्बन्धित आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

2. सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए०सी०पी०) के अन्तर्गत प्रथम सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से तीन उच्च ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरों के रूप में अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं०-वे०आ०-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में निर्धारित तत्सम्बन्धित प्राविधानों के अनुक्रम में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश सं०-08/2015-वे०आ०-2-190/दस-62-(एम)/2008 टी०सी०-1 दिनांक 03.03.2015 एवं शासनादेश सं०-50/2015-वे०आ०-2-871/दस-62-(एम)/2008 दिनांक 26.08.2015 निर्गत किये गये हैं।

3. उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधान निगम कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी किये जाने हेतु उ०प्र०पा०का०लि० के आदेश संख्या 95-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/18-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 25.01.2019 एवं 109-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2019-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 29.01.2019 को अंगीकृत करते हुए एतद्वारा निम्नवत् आदेश जारी किये जाते हैं :-

**19 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरों के सम्बन्ध में।**

ऐसे पदधारक जिन्हें ए०सी०पी० की व्यवस्था विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1300/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-3(1)-मा०सं०(04)/2017 दिनांक 31.08.2017 एवं संपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1427/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-3(1)-मा०सं०(04)/2017 दिनांक 26.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 19 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से तीसरे वित्तीय स्तरों के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक

क्रमशः 2 पर.....

पदोन्नति/समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0-320/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009-43-मा0सं0(04)/2008 दिनांक 28 फरवरी, 2009 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से तीसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 19 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 28.02.2009, जो भी बाद में हो, से स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त हुआ हो।

निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1300/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(1)-मा0सं0(04)/2017 दिनांक 31.08.2017 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1427/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(1)-मा0सं0(04)/2017 दिनांक 26.09.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

**14 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोंनयन (2<sup>nd</sup> ACP) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।**

ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1300/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(1)-मा0सं0(04)/2017 दिनांक 31.08.2017 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1427/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(1)-मा0सं0(04)/2017 दिनांक 26.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 14 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से दूसरे वित्तीय स्तरोंनयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति/समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0-320/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009-43-मा0सं0(04)/2008 दिनांक 28 फरवरी, 2009 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से दूसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 14 वर्ष सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 28.02.2009, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त हुआ हो।

निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1300/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(1)-मा0सं0(04)/2017 दिनांक 31.08.2017 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1427/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(1)-मा0सं0(04)/2017 दिनांक 26.09.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेश के व्यवहारिक क्रियान्वयन के फलस्वरूप सम्बन्धित मामलों में यथा अनुमन्यता की तिथि से मात्र नोशनल वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होगा एवं दिनांक 25.01.2019 से वास्तविक भुगतान अनुमन्य किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0 294-(1)-मा0सं0-(04)/उ0नि0लि0/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।

शेष पृष्ठ-3 पर....

(3)

3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन(एटा)।
5. महाप्रबन्धक(मा०सं०)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/ईधन/ पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद-नवपरियोजनायें / तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.02.2019 को परिचालन माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि०(01/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/ तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. उप सचिव (मा०सं०-02), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०-01/रिफार्म) उ०प्र० रा०वि०उ०नि० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. कट फाइल।

16/02/19  
(कौशलेन्द्र कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०-04)